फैक्स / क्यूमेल / आवश्यक

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

टावर–1 चर्तुथ तल, सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर विस्तार, लखनऊ–226002

संख्या:अठ्ठारह–आशु0 (वरिष्ठता)–2024 दिनांक:लखनऊ:अगस्त 13 ,2024

आदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली–2015 (यथा–संशोधित) में निहित निर्देशों के अर्न्तगत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) से पुलिस निरीक्षक(गोपनीय) के पद पर पदोन्नति हेतु भर्ती बोर्ड स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति की संस्तुति अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के पत्र संख्या: पीआरपीबी–चार–10(35)–2024 दिनॉक 26.07.2024 द्वारा इस मुख्यालय को उपलब्ध कराई गयी है, जिसमें 38 कार्मिकों को पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) से पुलिस निरीक्षक (गोपनीय) के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाया गया है। उपयुक्त पाये गये 38 कार्मिकों के सापेक्ष वर्तमान में दिनांक: 31.07.2024 तक पुलिस निरीक्षक(गोपनीय) की 16 रिक्तियां विद्यमान हैं, जिनका पदोन्नति आदेश निर्गत किया जा रहा है। शेष बच रहे 22 चयनित कार्मिकों को माह अगस्त 2024 से जून–2025 तक प्रत्येक माह में रिक्त होने वाली पुलिस निरीक्षक(गोपनीय) की रिक्तियों के सापेक्ष समायोजित किया जायेगा। अध्यक्ष उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी विभागीय चयन समिति की संस्तुति पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा अनुमोदित किये जाने के फलस्वरूप वर्तमान में उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष निम्नलिखित 16 कार्मिकों को तत्कालिक प्रभाव से इनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर ही पुलिस निरीक्षक (गोपनीय) के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है, जिसका विवरण निम्नवत है:–

क्र0 सं0	ज्ये0 क्र0	पी0एन0ओ0	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	नियुक्ति स्थान	चयन वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	022020130	श्री सर्वेश पचौरी	सतीश चन्द पचौरी	05–06–1981	47 पीएसी गा0बाद	2024
2	2	060790011	श्री प्रवीण कुमार तोमर	स्व0 श्री नवाब सिंह	18–09–1982	सीबीसीआईडी	2024
3	4	080950022	श्री पवन कुमार सोलंकी	स्व0 श्री लक्ष्मण सिंह सोलंकी	15–11–1979	सीबीसीआईडी	2024
4	5	082460075	श्रीमती कंचन बाला	स्व0 अशोक कुमार	01–6–1981	35वीं वाहिनी पीएसी, लखनऊ	2024
5	6	082250010	श्री संगम सिंह	स्व0रमाशंकर सिंह बघेल	30–03–1988	उ0प्र0 वि0सु0मुख्यालय लखनऊ	2024
6	7	082380016	श्री उज्जवल कुमार श्रीवास्तव	कुन्दन कुमार श्रीवास्तव	01–07–1984	पीटीएस गोरखपुर	2024
7	8	082590055	विद्यावती देवी	श्री घनश्याम वर्मा	15–07–1975	जनपद –लखनऊ	2024
8	9	082430014	श्री संजय कुमार सिंह	स्व0 शिव कुमार सिंह	15–08–1975	खीरी	2024
9	10	092330014	श्री सुधीर कुमार	स्व0 श्री भीम सिंह	06–12–1985	सहारनपुर	2024

SI(GOPNIY) PRAMOTION ORDER 2024

4

क्र0 सं0	ज्ये0 क्रं0	पी0एन0ओ0	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	नियुक्ति स्थान	चयन वर्ष
10	11	090020012	श्री प्रफुल्ल कुलश्रेष्ठ	श्री प्रवीण कुलश्रेष्ठ	15–08–1987	मुख्यालय पुलिस महानिदेशक	2024
11	13	092610024	श्री ओपेन्द्र सिंह यादव	स्व0 राज नारायण यादव	13–07–1984	39वीं वाहिनी पीएसी मीरजापुर	2024
12	14	092290046	श्री संदीप कुमार	स्व0 श्री पुष्पाल सिंह	27–01–1986	गौतमबुद्धनगर	2024
13	15	100790027	श्रीमती सुमन	श्री कृष्ण कुमार	18–05–1972	सीबीसीआईडी	2024
14	16	100790030	श्रीमती दीपा लोहनी	श्री दया शंकर पाण्डेय	28–07–1976	जनपद मेरठ	2024
15	17	100790014	मो0 जसीम	स्व0 मो0 वसीम	04–01–1984	अम्बेडकरनगर	2024
16	18	110790020	श्री विनय प्रकाश सिंह	स्व0 राजपति सिंह	01–07–1977	सीबीसीआईडी	2024

2– पदोन्नति पाये उक्त पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) अपने नियुक्ति स्थान जनपद / इकाई / शाखा पर कार्यभार ग्रहण करेगें। उक्त कर्मियों के परिवीक्षां काल हेतु उ0प्र0 पुलिस लिपिक लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली–2015 (यथा संशोधित) में अंकित प्रावधान के अनुसार कार्यवाही अपेक्षित होगी।

3– पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) से संलग्न प्रारूप (क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्याः 13/21/89–का–1–1997 दिनांकः 28.05.1997 के खण्ड–2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियॉः–

(क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है,

(ख) यदि कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप–पत्र जारी किया जा चुका है।

(ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप–पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। उपरोक्त तीनों परिस्थितियॉ सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) के विरूद्ध विद्यमान न हों।

4– यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर–3 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान नहीं हैं तो सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) को पुलिस निरीक्षक (गोपनीय) के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर–3 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान पायी जाती है तो सम्बन्धित कर्मी के पदोन्नति के आदेश का कियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या इस मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुये दिशा–निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

5– यदि सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई में सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति संहित संबंधित कर्मी को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख इस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

6– निदेशानुसार आदेश की प्रति उ0प्र0 पुलिस की वेबसाईट http://uppolice. gov.in पर प्रदर्शित की जा रही है।

संलग्नकः प्रारूप (क)

(signature) 1/3/08

(प्रभाकर चौधरी)
पुलिस उप महानिरीक्षक, स्थापना,
उतर प्रदेश।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक के जी0एस0ओ0 मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, सीबीसीआईडी/उ0प्र0 विशेष सुरक्षा मुख्यालय, लखनऊ/पीटीएस गोरखपुर/पीएसी, उ0प्र0 लखनऊ।
4. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर।
5. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
6. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।
7. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, खीरी/सहारनपुर/मेरठ/अम्बेडकरनगर।
8. सेनानायक, 47वीं/35वीं/39वीं, वाहिनी।

स्वघोषणा–पत्र

मैं शपथकर्ता (नाम/पदनाम व पीएनओ)————————————————————पुत्र

———————————निवासी———————————थाना———————जनपद———————————

वर्तमान में(जनपद/इकाई)————————————————————————नियुक्त हूँ। मैं प्रमाणित करता हूँ कि:–

(1) मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित/प्रचलित नहीं है और न ही कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

(2) मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई——————में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांकः———को आरोप–पत्र दिया गया है।

(3) मेरे विरूद्ध मु0अ0सं0——————धारा——————————————थाना——————

जनपद—————में लम्बित है, जिसमें दिनांकः—————को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी———————द्वारा आरोप–पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में———————स्तर पर चल रहा है।

2– मेरे द्वारा प्रस्तुत घोषणा–पत्र में अंकित तथ्य यदि असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरे विरूद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यह घोषणा–पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर

नाम/पदनाम/पीएनओ
नियुक्ति स्थान–
दिनांकः–

प्रमाणित
जनपद/इकाई के प्रभारी

नाम/पदनाम की मुहर

नोट–स्वघोषणा–पत्र के प्रस्तर–1 के उपप्रस्तर–(1), (2) व (3) में से जो लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (x) दिया जाय।